राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3002/2022

1. ओएफबी प्राइवेट टेक लिमिटेड, अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री अस्मित शर्मा के माध्यम से, जिनका पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या जी-22 सी, डी-1 (के-4) ग्रीन पार्क मेन नई दिल्ली -1106 पर है।
2. आशीष महापात्रा निदेशक ओएफबी टेक, प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा, जिनका पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या जी-22 सी, डी-1 (के-4) ग्रीन पार्क मेन नई दिल्ली -1106 पर है।
3. राशि श्रीवास्तव कंपनी सचिव ओएफबी टेक, प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा, जिनका पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या जी-22 सी, डी-1 (के-4) ग्रीन पार्क मेन नई दिल्ली -1106 पर है।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. आरिफ अली पुत्र यूनुस अली हबीब, 3, मालिक एचएनआर पावर टूल्स ऑफिस गुलमोहर चौक न्यू अश्विनी बाजार धानमंडी उदयपुर राजस्थान निवासी 19 खारोल कॉलोनी गली नंबर 3 पुराना फतहपुरा उदयपुर राज.

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री राजवेन्द्र सारस्वत
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री महिपाल बिश्नोई, पी.पी. श्री प्रदीप कुमार शाह श्री अभिमन्यु सिंह एवं श्री बलवीर सिंह के सहयोग से (आर.नं.2 के लिए)

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

08/08/2024

1. यहाँ एक और मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की शक्तियों का घोर दुरुपयोग किया गया है, जो विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मामला है, जो पक्षों के बीच व्यापारिक लेन-देन से उपजा है। सिविल विवाद होने के बावजूद, एक प्रेरित पुलिस

शिकायत को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गलत आपराधिक दोष साबित करने के लिए हेरफेर किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि एक आज्ञाकारी पुलिस अधिकारी या बल्कि एक आज्ञाकारी व्यक्ति ने, ऋण वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अपने वरिष्ठ के आदेशों का पालन करते हुए, शिकायत से पहले प्रारंभिक जांच करने या बुनियादी तथ्यों और परिस्थितियों को सत्यापित करने का प्रयास किए बिना एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके बारे में बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी।

2. पुलिस स्टेशन धानमंडी, जिला उदयपुर में आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 24/2022 दिनांक 24.02.2022 और उसके बाद होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है।

3. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 (संक्षेप में कंपनी) विनिर्माण, निर्माण, सेवाओं और अन्य उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कच्चे माल की आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है। 28.06.2021 को यश चौहान नामक व्यक्ति कंपनी की सेवाओं में शामिल हुआ। इसके तुरंत बाद, यश चौहान की सिफारिश पर, 20.08.2021 को श्री हरि नारायण नामक व्यक्ति को कंपनी के कर्मचारी के रूप में शामिल किया गया।

3.2. अगस्त 2021 में किसी समय, कंपनी को अपने ग्राहक मेसर्स रिमझिम इस्पात लिमिटेड से जेनेरिक फेरो मैंगनीज का ऑर्डर मिला। इस मांग को पूरा करने के लिए, कंपनी ने मेसर्स श्री सुमित्रा ट्रेडर्स को 500 मीट्रिक टन जेनेरिक फेरो मैंगनीज का ऑर्डर दिया।

3.3 इसके बाद, एक दिन, प्रतिवादी नंबर 2, आरिफ अली ने कंपनी से संपर्क किया और अपने ऑर्डर के लंबित भुगतान के बारे में पूछताछ की, जो याचिकाकर्ता कंपनी ने उनकी फर्म से बुक किया था। कंपनी ने उन्हें बताया कि उनकी फर्म के साथ ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है।

3.4. जांच करने पर पता चला कि उक्त दोनों कर्मचारी यश चौहान और हरि नारायण प्रतिवादी संख्या 2 के साथ बातचीत कर रहे थे। बाद में यश चौहान ने 05.10.2021 को ईमेल के माध्यम से अपना इस्तीफा दे दिया और हरि नारायण ने भी काम पर आना बंद कर दिया और लापता हो गया।

3.5. प्रतिवादी संख्या 2/उसकी फर्म ने कंपनी को वसूली के लिए 22.12.2021 को कानूनी नोटिस भेजा और बाद में 24.02.2022 को आक्षेपित एफआईआर भी दर्ज कराई।

4. एफआईआर के आरोपों के आधार पर जांच चल रही है/थी।

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ विद्वान लोक अभियोजक की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री राजवेंद्र सारस्वत ने शुरू में ही आग्रह किया कि एफआईआर की विषय-वस्तु से किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने का पता नहीं चलता। एफआईआर में न तो उनका नाम है और न ही उनकी कोई सक्रिय भूमिका बताई गई है। इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

6.1 इस प्रकार वे इस बात पर जोर देते हैं कि एफआईआर की जांच से पता चलता है कि वास्तव में याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया है, जिससे उन्हें आरोपी बनाया जा सके।

7. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक श्री महिपाल बिश्नोई ने आग्रह किया कि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद, कानून अपना काम करेगा। इसलिए, इस न्यायालय को जांच एजेंसी को सच्चाई उजागर करने का अवसर दिए बिना प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका तर्क है कि इस न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप जांच के दौरान बाधा उत्पन्न करेगा, और इसलिए, तत्काल याचिका खारिज की जानी चाहिए।

8. शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रदीप शाह ने तर्क दिया कि एफआईआर में याचिकाकर्ता नंबर 1-कंपनी और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के खिलाफ स्पष्ट और सीधे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क, कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप का कोई भी अंश नहीं है, इसलिए पूरी तरह से गलत है।

8.1. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और संख्या 3, कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के नियंत्रण में होने के कारण और इसके वरिष्ठ प्रतिनिधि होने के नाते, क्रमशः निदेशक और कंपनी सचिव के रूप में, अपराध करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, उन पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

8.2. वह यह तर्क देंगे कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

9. अब मैं एफआईआर पर अपनी राय देने के लिए आगे बढ़ूंगा, इसके बाद के पैराग्राफ में चर्चा दर्ज करूंगा।

10. विवाद को समझने के लिए, सबसे पहले एफआईआर की कहानी देखी जा सकती है जो अपने आप में बोलती है और उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर का अनुवादित संस्करण इस प्रकार है:

> "उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, मैं, याचिकाकर्ता, न्यू अधीनी बाजार, उदयपुर में एचएनआर पावर टूल्स नाम से अपना व्यवसाय संचालित करता हूं। 14.09.2021 को, आरोपी कंपनी के एक अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा ने एचसी फेरो मैंगनीज सामग्री की खरीद के संबंध में मुझसे संपर्क किया। इस बातचीत के दौरान, उन्होंने 30 मीट्रिक टन एचसी फेरो मैंगनीज की खरीद पर चर्चा की और मुझे आश्वासन दिया कि, दर और शर्तों पर सहमत होने के बाद, वे सामग्री के लिए खरीद आदेश जारी करेंगे।
>
> दरों और शर्तों पर चर्चा करने के बाद, 26.09.2021 को, आरोपी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने मेरी कंपनी की प्रोफ़ाइल और ईमेल आईडी मांगी, जो मैंने प्रदान की। इसके बाद, उन्होंने मेरा जीएसटी, पैन कार्ड और बैंक विवरण मांगा। इन्हें उपलब्ध कराने के बाद, 27.09.2021 को, उन्होंने मुझे संदर्भ संख्या OFB/POV/21-22/Ahbazar 3477 के साथ 30 मीट्रिक टन HC फेरो मैंगनीज के लिए एक खरीद आदेश भेजा, जिसकी कीमत ₹37,54,170 थी।
>
> उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सामग्री आपूर्ति के 10 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।
>
> बाद में, 27.09.2021 को, उन्होंने मुझे संदेश के माध्यम से शिपिंग पता बदलकर रिमझिम इस्पात लिमिटेड, प्लॉट नंबर बी-22-23, औद्योगिक क्षेत्र, भरवा सुमेरपुर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश करने के लिए सूचित किया। खरीद आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, 28.09.2021 को, मैंने एलोक्वेंट स्टील प्राइवेट लिमिटेड, वडवान, पश्चिम बंगाल से सामग्री खरीदी और इसे कानपुर बंगाल फ्रेट कैरियर, वाहन संख्या UP-77AN-6470 के माध्यम से भेज दिया। सामग्री 01.10.2021 को रिमझिम इस्पात लिमिटेड को

वितरित की गई, जहां इसे उतार दिया गया और उनके अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

मैंने OFB Tech द्वारा जारी आदेश के अनुसार विधिवत सामग्री की आपूर्ति की, लेकिन कंपनी निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में विफल रही। जब मैंने भुगतान के लिए OFB Tech से संपर्क किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने आरोपी पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन रिमझिम इस्पात लिमिटेड ने भी सामग्री वापस करने या कोई भुगतान करने से इनकार कर दिया। आरोपी कंपनी ओएफबी टेक ने भी बकाया राशि का निपटान करने से इनकार कर दिया।

इसके अलावा, मेरे खिलाफ झूठे मामलों की धमकी दी जा रही है और आरोपी पक्षों ने मेरे साथ धोखाधड़ी करने की साजिश रची है। उन्होंने धोखाधड़ी से खरीद आदेश जारी करके, क्रेडिट पर माल प्राप्त करके और फिर भुगतान करने या माल वापस करने से इनकार करके मुझे धोखा देने की योजना बनाई। इस संगठित धोखाधड़ी और विश्वासघात ने मुझे काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें, मेरी बकाया राशि वसूल करें या आरोपियों से मेरा सामान वापस करें और मुझे न्याय दिलाएं।"

11. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायतकर्ता का स्वीकार किया गया कथन यह है कि माल की आपूर्ति के लिए लिखित अनुबंध/खरीद आदेश की परिणति से पहले संबंधित व्यापारिक लेनदेन के संबंध में पक्षों के बीच आपसी चर्चा और बातचीत हुई थी। आरोपी कंपनी यानी मेसर्स ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके निदेशकों/प्रतिनिधियों को यहां आरोपी बनाया गया है, ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता की फर्म को खरीद आदेश जारी किया था। हालांकि, निश्चित रूप से ओएफबी/कंपनी का यह कहना है कि ऐसा खरीद आदेश उसके अनधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी किया गया था, जिनके खिलाफ कंपनी द्वारा आपराधिक कार्यवाही की गई है।

12. एफआईआर के संदर्भ में, यह अन्य बातों के साथ-साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (याचिकाकर्ता संख्या 1), निदेशक (याचिकाकर्ता संख्या 2) और कंपनी के कंपनी सचिव (याचिकाकर्ता संख्या 3) के खिलाफ दर्ज की गई है। एफआईआर को

पढ़ने से पता चलता है कि वास्तव में न तो याचिकाकर्ता संख्या 2 और न ही 3 को कथित अपराधों में कोई भूमिका सौंपी गई है। पूरी एफआईआर में याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, जो आरोपी कंपनी के क्रमशः निदेशक और कंपनी सचिव हैं। उनके आधिकारिक पदों के आधार पर उनके नामों को शामिल करना, बिना किसी प्रत्यक्ष संलिप्तता या किसी विशिष्ट आपराधिक कृत्य के, विवाद में असंबद्ध व्यक्तियों को घसीटने के लिए पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है।

13. कथित खरीद आदेश यश चौहान और हरि नारायण द्वारा दिया गया था, जो अब कंपनी के पूर्व कर्मचारी बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने खरीद आदेश में जालसाजी की है। मूल खरीद आदेश और जाली खरीद आदेश में एक ही संदर्भ संख्या है, और दो अलग-अलग खरीद आदेशों में एक ही संदर्भ संख्या नहीं हो सकती है। यह पता चला है कि याचिकाकर्ता नंबर 1, यानी कंपनी ने उक्त जालसाजी का पता चलने पर, बाद में 28.12.2021 को यश चौहान और हरि नारायण के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद गुरुग्राम में सक्षम न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 200 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।

14. यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता कंपनी और शिकायतकर्ता के बीच यश चौहान और हरि नारायण द्वारा तैयार किए गए कथित खरीद आदेश को छोड़कर, उक्त खरीद आदेश के संबंध में कोई अन्य औपचारिक लिखित संचार नहीं है। धन की वसूली के लिए कंपनी को दिनांक 22.12.2021 को एक कानूनी नोटिस भी दिया गया।

15. शिकायतकर्ता ने पहले ही वाणिज्यिक न्यायालय, उदयपुर के समक्ष याचिकाकर्ता कंपनी के पूर्व कर्मचारियों सहित उन्हीं पक्षों के खिलाफ उसी विवाद के संबंध में सिविल वाद संख्या 178/203 के रूप में वसूली का मुकदमा दायर किया हुआ है।

16. इसलिए, इस एफआईआर के मूल में विवाद स्वाभाविक रूप से दीवानी है, जो एक वाणिज्यिक लेनदेन से उपजा है। पूरा विवाद कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों द्वारा जारी किए गए जाली या नकली खरीद आदेश के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा मेसर्स रिमझिम इस्पात को एचसी फेरो मैंगनीज की आपूर्ति से संबंधित है। एफआईआर पैसे की वसूली के लिए दबाव बनाने के लिए एक जबरदस्ती वसूली रणनीति प्रतीत होती है। शिकायतकर्ता ने खुद अपनी फर्म और आरोपी कंपनी के बीच पूर्व चर्चा/बातचीत को स्वीकार किया है। मुख्य मुद्दा याचिकाकर्ताओं द्वारा

वितरित माल के लिए कथित रूप से भुगतान न करना है। ऐसे विशुद्ध रूप से संविदात्मक विवादों में एफआईआर दीवानी और आपराधिक कानून के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। एक दीवानी अदालत में हल किए जाने वाले मामले को आपराधिक बनाकर पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग कम से कम निंदा के योग्य है।

17. इसके अलावा, धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत आपराधिक आरोपों को सही ठहराने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए प्रलोभन होना चाहिए और लेन-देन की शुरुआत से ही बेईमानी या धोखाधड़ी के इरादे का स्पष्ट प्रदर्शन होना चाहिए और शिकायतकर्ता की संपत्ति को सौंपना चाहिए ताकि उसका विश्वास भंग हो। किसी भी मामले में, दोनों अपराध विरोधाभासी हैं। एचसी फेरो मैंगनीज युक्त ट्रक द्वारा माल की कथित डिलीवरी शिकायतकर्ता द्वारा मेसर्स रिमझिम इस्पात को की गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता कंपनी को संपत्ति का कोई भरोसा नहीं था। एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कैसे याचिकाकर्ता कंपनी या उसके निदेशकों और कंपनी सचिव द्वारा धोखाधड़ी के पूर्व इरादे से शिकायतकर्ता को किसी गलत बयान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया या वादा किया गया।

18. ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी नियमित रूप से धारा 405/406 के तहत एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, साथ ही आईपीसी की धारा 420 [बीएनएस की धारा 316(1), 316(2) और 318(4) के अनुरूप] कानूनी प्रावधानों और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। साथ ही लैलता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल के तहत कोई प्रारंभिक जांच किए बिना ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। इससे न केवल आरोपियों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें लगातार डर और गिरफ्तारी की आशंका में रखकर उनकी नागरिक स्वतंत्रता को भी गंभीर रूप से कमजोर किया जाता है। इस मामले में भी, यदि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 04.07.2022 को पारित अंतरिम आदेश नहीं होता, तो याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी, पूरी संभावना के साथ, अपरिहार्य हो जाती।

19. लगभग इसी तरह की परिस्थितियों में, माल की आपूर्ति के एक अन्य मामले में, दो दिन पहले ही, इस पीठ ने राणा राम बनाम राजस्थान राज्य में दिए गए एक विस्तृत आदेश/निर्णय के माध्यम से एक और एफआईआर को रद्द कर दिया था। उसी का प्रासंगिक अंश, जो यहां भी लागू है, इस प्रकार है:-

"13. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं है। अन्यथा भी, शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर में कानाफूसी करने लायक कुछ भी नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता की क्या भूमिका है, जो यह दावा कर रहा है कि वह एक वास्तविक खरीदार है।

14. आईपीसी की धारा 405 आपराधिक विश्वासघात के अपराध को परिभाषित करती है, जो आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय है, इस प्रकार:-

> "405. आपराधिक विश्वासघात-
>
> जो कोई किसी भी तरह से संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी तरह से आधिपत्य सौंपे जाने पर, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग में लाता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या उसका निपटान करता है, कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते हुए जिसमें उस तरह के विश्वास को मुक्त करने का तरीका निर्धारित किया गया है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्त या निहित, जो उसने ऐसे विश्वास के निर्वहन से संबंधित किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह "आपराधिक विश्वासघात" करता है।

उपर्युक्त धारा 405 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धारा 316(1) के रूप में शब्दशः बनाए रखा गया है और निम्नानुसार पढ़ा जाता है:-

> "316. आपराधिक विश्वासघात-
>
> (1) जो कोई, किसी भी तरह से संपत्ति सौंपी जाने पर, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग में लाता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या उसका निपटान करता है, कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते हुए, जिसमें उस तरह के विश्वास को निर्वहन करने का तरीका निर्धारित किया गया है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्त या निहित, जो उसने ऐसे विश्वास के निर्वहन के संबंध में किया है,

या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह आपराधिक विश्वासघात करता है।

15. आइए इस धारा के तत्वों को बेहतर समझ के लिए नीचे दिए अनुसार विभाजित करें:-

(क) सौंपना:

व्यक्ति को संपत्ति या संपत्ति पर कुछ अधिकार सौंपा जाना चाहिए। यह सौंपना स्पष्ट (प्रत्यक्ष) या कानूनी समझौते या कर्तव्यों के माध्यम से निहित हो सकता है।

(ख) बेईमानी से दुरुपयोग या उपयोग:

व्यक्ति को सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, रूपांतरण या अपने स्वयं के लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। इसमें दुरुपयोग का कोई भी रूप शामिल है जो कानून, ट्रस्ट या समझौते की शर्तों के विपरीत है।

(सी) निर्देशों या अनुबंधों का उल्लंघन:

दुरुपयोग कानून के विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन होना चाहिए जो यह रेखांकित करते हैं कि ट्रस्ट को कैसे निष्पादित किया जाना है या किसी कानूनी अनुबंध के विपरीत होना चाहिए - चाहे वह स्पष्ट रूप से (स्पष्ट रूप से कहा गया हो) या निहित (प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के बिना समझा गया हो)।

(डी) जानबूझकर पीड़ित होना:

यदि व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट के उल्लंघन में संपत्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति देता है, तो यह भी उल्लंघन माना जाता है।

यह देखा जाएगा कि धारा, सुप्रा की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि जिस संपत्ति के संबंध में अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है, उसमें लाभकारी हित उस व्यक्ति में निहित रहता है जिसके द्वारा सौंपा गया था यानी उसी व्यक्ति में और आरोपी में नहीं। आपराधिक ट्रस्ट उल्लंघन के उदाहरण हैं:

- कंपनी के फंड को सौंपे गए कर्मचारी जो उन्हें निजी खर्चों के लिए उपयोग करते हैं।

- संपत्ति का ट्रस्टी जो ट्रस्ट की शर्तों के खिलाफ संपत्ति बेचता है।

- एक गोदाम मालिक जो मालिक की अनुमति के बिना अपने अधीन रखे गए माल का निपटान करता है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष को दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए सौंपे जाने के तत्वों और सौंपे जाने की शर्तों के बेईमानी से उल्लंघन को साबित करना होगा। यह प्रत्ययी जिम्मेदारियों के निर्वहन और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सौंपी गई संपत्ति कानून के अनुसार और ट्रस्ट या कानूनी समझौते की शर्तों के अनुसार संभाली जाए।

16. तत्काल एफआईआर में आरोप दर्शाते हैं कि शिकायतकर्ता ने राम किशोर झंवर और/या उनके बेटे नरेंद्र झंवर को माल बेचा था। एफआईआर में शिकायतकर्ता के आरोपों से यह और भी स्पष्ट है कि जब उन्होंने दोनों लेन-देन के लिए कुल 25,54,807/- रुपये का भुगतान करने का अनुरोध किया, तो देय राशि का भुगतान करने के बजाय, अभियुक्तों ने (स्पष्ट रूप से राम किशोर झंवर और/या उनके बेटे नरेंद्र झंवर) उनका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया।

17. शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं एफआईआर में लगाए गए ये आरोप उसके विद्वान वकील के इस दावे के विपरीत हैं कि शिकायतकर्ता ने उक्त माल राणा राम को भी बेचा था, जो याचिकाकर्ता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता भी समान रूप से दोषी है क्योंकि वह बिक्री की राशि मूल विक्रेता यानी शिकायतकर्ता को दिए बिना ही दावा कर रहा है। यह काफी दिलचस्प है कि एफआईआर में याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय में दिए गए दावों के विपरीत बहुत ही विरोधाभासी रुख अपनाया गया है।

18. किसी भी तरह से, यह शिकायतकर्ता द्वारा नरेंद्र कुमार झंवर को माल की बिक्री का एक साधारण वाणिज्यिक लेनदेन प्रतीत होता है। बिक्री के समय ही, बेचे गए माल की संपत्ति (स्वामित्व) क्रेता (नरेंद्र कुमार झंवर) के पास चली गई थी और अब वह शिकायतकर्ता या आरोपी नरेंद्र कुमार झंवर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं रही।

19. मेरे विचार से, एफआईआर में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए तो, आईपीसी की धारा 405 में परिभाषित

आपराधिक विश्वासघात के अपराध का खुलासा नहीं होता है, जो आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय है।

20. जैसा कि ऊपर पाया गया, यह माल की बिक्री-खरीद का एक साधारण वाणिज्यिक लेनदेन था; बिक्री के समय ही, बेची गई वस्तुओं में संपत्ति/लाभकारी हित क्रेता (नरेंद्र झंवर) के पास चला गया था और अब शिकायतकर्ता या आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं रहा। वर्तमान याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने उक्त नरेंद्र झंवर से माल खरीदा था, उक्त ग्वार गम के लिए पूर्ण और अंतिम भुगतान किया था और नरेंद्र कुमार झंवर द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में 14.06.2024 को लेनदेन की पुष्टि करते हुए बिक्री रसीद जारी की गई थी।

21. अब धारा 420 आईपीसी पर विचार करते हुए, इसके तहत आपराधिक दायित्व को आकर्षित करने के लिए एक अनिवार्य तत्व धोखाधड़ी का तत्व है और इस प्रकार, किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को सौंपने के लिए धोखा देने वाले व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित करना है। वर्तमान मामला माल की एक साधारण बिक्री और शिकायतकर्ता द्वारा नरेंद्र झंवर को इसकी डिलीवरी होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता को धोखा दिया गया था और इस प्रकार आरोपी द्वारा माल को बाद में देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया था। मेरी राय में, एफआईआर में आरोप भी धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करते हैं।

22. मामले का एक और पहलू भी है। धारा 405 आईपीसी और धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध परस्पर विरोधी हैं और एक साथ नहीं रह सकते हैं। धारा 405 आईपीसी के मामले में, संपत्ति मालिक द्वारा अभियुक्त को ट्रस्ट में सौंपी जाती है और अभियुक्त की ओर से बेईमानी का कोई तत्व आरंभ में यानी संपत्ति सौंपे जाने से पहले या उसके समय नहीं होता है, लेकिन अभियुक्त की बेईमानी का तत्व संपत्ति सौंपे जाने के बाद विकसित होता है। इसके विपरीत, धारा 420 की प्रयोज्यता के लिए यह दर्शाना आवश्यक है कि अभियुक्त की बेईमानी का तत्व संपत्ति सौंपे जाने से पहले और/या उसके समय यानी आरंभ में ही मौजूद था।

आईपीसी की धारा 405 और 420 दोनों ही अलग-अलग डोमेन में काम करती हैं यानी सौंपना बनाम प्रलोभन। धारा 405 सौंपने से संबंधित है, जहां पीड़ित अभियुक्त पर संपत्ति सौंपकर भरोसा करता है और अभियुक्त द्वारा इस भरोसे का उल्लंघन सीधे तौर पर पीड़ित को नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत, धारा 420 प्रलोभन से संबंधित है, जहां आरोपी सक्रिय रूप से पीड़ित से संपर्क करता है, अक्सर गलत बयानी या धोखे के माध्यम से, जिससे पीड़ित को उसकी ईमानदारी पर गलत विश्वास हो जाता है और वह झूठे बहाने/प्रलोभन के तहत अपनी संपत्ति छोड़ देता है। इसलिए, सौंपना मौजूदा विश्वास के उल्लंघन पर केंद्रित है, जबकि प्रलोभन में शुरू से ही धोखा शामिल है।

आसान संदर्भ के लिए, धारा 420 आईपीसी को नीचे भी पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण करने के लिए प्रेरित करना
>
> जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से उस व्यक्ति को प्रेरित करता है जिसे धोखा दिया गया है, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी भी चीज़ को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, जो हस्ताक्षरित या सील की गई है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा।"

उपरोक्त धारा 420 आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धारा 318 (4) के रूप में शब्दशः बनाए रखा गया है और निम्नानुसार पढ़ा जाता है:-

> "318. धोखाधड़ी-
>
> (4) जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी ऐसी चीज को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, जिस पर हस्ताक्षर या मुहर लगी हो और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता हो, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा,

जिसकी अवधि सात साल तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा।

इस प्रकार, उक्त प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि धोखाधड़ी का कार्य, जहां कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, ऐसा होना चाहिए, जिसके द्वारा धोखा दिए गए व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्रेरित किया जाता है:

- किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपना।
- किसी मूल्यवान प्रतिभूति या उसके किसी हिस्से को बनाना, बदलना या नष्ट करना।
- हस्ताक्षरित, मुहरबंद और मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम किसी भी चीज को संशोधित या नष्ट करना।

इस प्रकार प्रावधान दूसरों को संपत्ति से अलग करने या मूल्यवान दस्तावेजों को बदलने के लिए छल का उपयोग करने के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालता है।

23. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में धारा 406 या 420 आईपीसी या किसी अन्य संज्ञेय अपराध के तहत अपराध किए जाने का खुलासा नहीं किया गया है।

24. इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने से पहले, ललिता कुमारी (सुप्रा) के मामले में निर्धारित शर्तों/मापदंडों का अनुपालन नहीं किया गया। सबसे पहले, पुलिस के पास दर्ज रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए तो, आईपीसी की धारा 405 में परिभाषित आपराधिक विश्वासघात के अपराध का खुलासा नहीं हुआ, जो आईपीसी की धारा 406 और आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय है या कोई अन्य संज्ञेय अपराध है। दूसरे, कथित अपराध माल की बिक्री और खरीद के विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुए थे। फिर भी, एफआईआर दर्ज करने से पहले, यह पता लगाने के लिए कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई कि कोई संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। यदि आवश्यक जांच की गई होती, तो जाहिर है कि परिणाम अलग होते।

25. जैसा भी हो, यह शिकायतकर्ता का काम है कि वह देनदार से अपने दावे किए गए पैसे की वसूली के लिए उचित सिविल कार्यवाही

शुरू करे, न कि पुलिस अधिकारियों का काम है कि वे अपनी खाकी वर्दी का दुरुपयोग करके जांच करने की आड़ में खुद को उसके सिविल रिकवरी एजेंट के रूप में पेश करें।

20. उक्त निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए, वर्तमान मामले के तथ्य, जैसा कि एफआईआर में कहा गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा या उनकी ओर से लेनदेन शुरू करने के समय किसी भी धोखाधड़ी के इरादे या गलत बयानी या प्रलोभन या सौंपे जाने का संकेत नहीं देते हैं। एफआईआर एक तथ्य के बाद के भुगतान न करने के विवाद पर आधारित है, जिसमें शुरू में धोखाधड़ी या धोखा देने के इरादे जैसे आपराधिकता के आवश्यक तत्वों का अभाव है। दोहराव की कीमत पर, शिकायतकर्ता ने माल तीसरे पक्ष, मेसर्स रिमझिम इस्पात को दिया है, और याचिकाकर्ता कंपनी को माल का कोई सीधा सौंपना नहीं था। यह तथ्य आपराधिक विश्वासघात के आरोप को पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता कंपनी के पास कभी भी माल का नियंत्रण या कब्ज़ा था। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही माना जा चुका है, धोखाधड़ी के आरोप का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से किसी भी तरह के गलत बयान या प्रलोभन का कोई संकेत नहीं है।

21. संक्षेप में, एफआईआर पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग प्रतीत होता है, जो बिना किसी आधार के एक विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद को आपराधिक मामले में बदल देता है। एक दीवानी मुकदमे का अस्तित्व, आपराधिक इरादे की कमी, तीसरे पक्ष की भागीदारी और कथित अपराध से जुड़े नहीं व्यक्तियों को शामिल करना इसे याचिकाकर्ताओं के लिए एफआईआर को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाता है।

22. उपरोक्त के मद्देनजर, तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है। पुलिस स्टेशन धानमंडी, जिला उदयपुर में आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 24/2022 दिनांक 24.02.2022 को याचिकाकर्ताओं और आरोपी संख्या 6, 7 और 8 यानी मेसर्स रिमझिम इस्पात लिमिटेड, संजीव कुमार अग्रवाल और गौरव आनंद के खिलाफ खारिज किया जाता है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं के समान ही रखा गया है और एफआईआर में आरोपी के रूप में रखा गया है।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।